सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला राज[समन्द]

प्रकरण : संख्या - शीर्षक.......................................बनाम.......................

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
3/8/25	वादी / प्रतिवादीगण, उपस्थित / पीठासीन अधिकारीजी राजकार्य से भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना मे दिनांक 11/9/25 को पेश है। [signature] आज्ञा से
11/09/25	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष. उप. पक्षकारान. मय, की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर जाहिर हुआ कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की मौरूसी सम्पत्ति होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीगण का भी अन्य विधिक वारिसान के समान हक अधिकार निहित है प्रार्थीगण द्वारा अपना हक अधिकार चाहा गया है किन्तु वादग्रस्त भूमि में हक अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में विवाद्यक बिन्दु कायम कर साक्ष्य एवं सबूतों के आधार किया जाना संभव है, किन्तु दौराने वाद यदि वादग्रस्त भूमि खुर्द-बुर्द हो जाती है अथवा रेकार्ड में परिवर्तन हो जाता है तो पक्षकारान के मध्य अनावश्यक पेचिदगीया एवं मुकदमें बाजी बढ़ने की सम्भावना बनी रहती है. ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में होना प्रतीत होता है. अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधि-नियम. का स्वीकार किया जाकर.

2

सत्यमेव जयते

राजस्
…यालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला-राजसमन्द

…रण : संख्या – शीर्षक...बनाम.......................................

हस्ता सूचनांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
	राजस्व ग्राम कुरज तहसील रेलमगरा के वादग्रस्त आराजी. संख्या. 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 3234, 3238, 3240, 3241, कुल किता – 22 कुल रकबा 21-02 बीघा भूमि का विपक्षीगण तामूलवाद फैसला वर्तमान मौका एव रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। इस हेतु विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न की जावें।	
	सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा	